18

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 95/2023 दायर दिनांक–11.07.2023

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......वादी

बनाम

1– रेखसिंह पुत्र रामचन्द्र
2– शिवनाथसिंह पुत्र रामचन्द्र
3– सरस्वती देवी पुत्री रामचन्द्र
जाति जाट निवासीगण निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
4– जरिये शाखा प्रबन्धक, बडौदा राज0 क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
5– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दयाराम सैनी
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ
व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.11.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम ग्राम निवाई पटवार हल्का निवाई की सरहद में खाता संख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 तथा स्व0 दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चली आ रही है जो वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 की खातेदारी काश्त की भूमि है। नकल जमाबन्दी दावे के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर वाके ग्राम निवाई में वादी का हिस्सा 3/10 है तथा प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 3 का हिस्सा 1/10 है, इसी हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है; परन्तु उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 के भाई दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र के नाम हिस्सा 6/25 राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 के भाई दीपचन्द का अविवाहित लाऔलाद स्वर्गवास हो चुका है जिसके कोई गोद की या जायन्दा वारीस नहीं है, इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके निकटतम वारीसान में उसके सगे भाई व बहिन वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 [illegible] भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 दीपचन्द के स्थान पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है, गलत [illegible] रिकॉर्ड में स्व0 दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 6/25 दर्जशुदा चला [illegible] दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र के हिस्से के स्थान पर उसके सगे भाई व बहिन वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 [illegible] 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 10.07.2023 को हल्का पटवारी से [illegible] करवाने हेतु वा[illegible]दन किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि कोर्ट से आदेश [illegible] आने पर ही आपका नामान्त[illegible]कता है। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर वाके ग्राम निवाई में वादी को हिस्सा 3/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

न्यायोचित है तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 2 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 3 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक है तथा इसी हिस्सेनुसार व घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 का नाम अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। इसलिये वादीगण के लिए यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 10.07.2023 को वादी ने हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि में दीपचन्द के स्थान पर नामान्तरण करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आने पर ही आपका नामान्तरण हो सकता है, हल्का पटवारी द्वारा असमर्थता जाहिर करने के रोज बमुकाम निवाई पैदा हुआ।

इस्तदुआ वादी यह कि दावा हाजा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावें कि : उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर वाके ग्राम निवाई में वादी को हिस्सा 3/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 2 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 3 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें तथा इसी हिस्सेनुसार व घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 का नाम अमल दरामद किया जाने का आदेश तहसीलदार, नवलगढ को दिया जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वकील वादी ने शहादत वादी हेतु जगदीश प्रसाद पुत्र रामचंद्र का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर उसके वारीसानों को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम निवाई की सरहद में स्थित भूमि खाता सख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द का नाम हजफ किया जाकर वादी को हिस्सा 3/10 का, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 3/10 का, प्रतिवादी नं. 2 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 3 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 95 / 2023 (जगदीश प्रसाद बनाम रेखसिंह आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.11.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम निवाई की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 169 पुराना 149 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 23 रकबा 3.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 31 रकबा 3.5200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 7.0600 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज मृतक खातेदार दीपचन्द पुत्र रामचन्द का नाम हजफ किया जाकर वादी को हिस्सा 3/10 का, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 3/10 का, प्रतिवादी नं. 2 को हिस्सा 3/10, प्रतिवादी नं. 3 को हिस्सा 1/10 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.11.2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:05:52 IST
Reason: SelfAttested